

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 580/2016 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

दुर्जनसिंह वगैरा बनाम सालू वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील :- श्री उदयभानुसिंह राठौड़

विप्रार्थीगण वकील :-

निर्णय


दिनांक - 12.07.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत -2017 कैम्प बावड़ीकला मे पेश हुई। प्रार्थीगण उपस्थित। उभयपक्षकारान को कैम्प कोर्ट की सूचना नोटिस जारी किये जो तामिल सुदा प्राप्त। प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि गुमानपुरा पटवार हल्का बावड़ीकला, तहसील चौहटन के खेत खसरा सं. 631/31 रकबा 38.03 बीघा स्थित है। प्रार्थीगण के खेत पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त कस्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण के वक्त काशत प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद गुमानपुरा पटवार हल्का बावड़ीकला, तहसील चौहटन के खेत खसरा सं. 631/31 रकबा 38.03 बीघा की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने हेतु भू अभिलेख निरिक्षक बावड़ीकला को 500/- रुपये फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता का यह भी निर्देश दिये जाते है कि न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे कस्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे । मौका कमीश्नर को आक्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के बाद तामिल के दाखिल दफतर हो ।

आदेश न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट बावड़ीकला मे दिनांक 12.07.2017 को सुनाया गया ।


(भागीरथराम)
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) चौहटन जिला बाडमेर

क्रमांक/भू.अ./2017/

दिनांक:-

प्रेषित : भू- अभिलेख निरीक्षक
बावड़ीकला

प्रार्थीगण:-

- 1.दुर्जनसिंह
- 2.नारायणसिंह
- 3.भीखसिंह
4. सवाईसिंह
- 5.रेमतसिंह
- पि.गेमरसिंह
- 6.चूनकंवर पत्नि गेमरसिंह, जाति राजपूत
- निवासी मते का तला, तहसील चौहटन
- जिला बाडमेर।

विप्रार्थीगण :-

- 1.सालू
- 2.गोरधन
- 3.सुमार पि. मलूका
- 4.हरसिंगा पुत्र हरनाथ
- 5.पुरखाराम पुत्र सताराम
- 6.मासिंगा पुत्र आसू जाति मेगवाल
- 7.महेशसिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत
- निवासी गुमानपुरा, तहसील चौहटन।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111.128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 580/2016

दिनांक : 12-07-2017

आदेश

उपरोक्त प्रकरण में आपको सरहद मौजा गुमानपुरा, पटवार हल्का बावड़ीकला, तहसील चौहटन के खेत खसरा सं. 631/31 रकबा 38.03 बीघा सरहद भूमि की नेखम पेमाईश जरिये पत्थरगढी करने हेतु 500/- कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनो पक्षो को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में आवश्यक पेश करे । मौका कमीशनर को आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। कमीशनर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा।



क्रमांक/भू.अ./2017/1791 to 1795
प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार चौहटन
- 2 पटवार हल्का बावड़ीकला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकोर्ड उपस्थित होकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
- 3 प्रार्थीगण दुर्जनसिंह वगैरा
- 4 विप्रार्थीगण सालू वगैरा
- 5 थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/सेड़वा/धोरीमन्ना/बाखासर

उपखण्ड अधिकारी
(भागीरथराम)
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

दिनांक:- 2017/12

(भागीरथराम)
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन